



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2671]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 27, 2013/अग्रहायण 6, 1935

No. 2671]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2013/AGRAHAYANA 6, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2013

का.आ. 3518(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2433 (अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2011 द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 के 10.000 कि.मी. से 94.000 कि.मी (त्रिची-कराईकुडी सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा था;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क के संग्रहण हेतु सा.का.नि. 838, (अ) तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 बनाए और इनमें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010 और सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2011 द्वारा संशोधन किए गए;

अतः अब केन्द्रीय सरकार समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 पर, पेव्ड शोल्डर खण्डों के साथ दो लेन के उपयोग के लिए निवल सड़क खण्ड जिसकी कुल लम्बाई 44.900 कि.मी. है, के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) के 60% पर और 10.000 कि.मी. से 91.054 (डिजाइन किलोमीटर) (त्रिची-कराईकुडी) तक के खण्ड के उपयोग हेतु, नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर दस करोड़ या अधिक लागत वाले 36.154 किलोमीटर कुल लम्बाई वाले बाइपासों के लिए आधार दर के 90% पर शुल्क उद्ग्रहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा सविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क का संग्रहण करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी सनिमार्ग मशीन (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपकरण (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत और संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क खण्ड की निवल लम्बाई हेतु, शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
19.000 कि.मी. (पुडुक्कोट्टाई जिले में लेचछूमनापट्टी गांव के पास)	30.300	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित दरों का 60%
57.317 कि.मी. (पुडुक्कोट्टाई जिले में लेम्बालाकुड्डी गांव के पास)	14.600	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त 10 करोड़ या अधिक लागत वाले निम्नलिखित बाइपासों के उपयोग के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपासों की लम्बाई हेतु, नीचे दिया गया शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास की लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
19.000 कि.मी. (पुडुक्कोट्टाई जिले में लेचछूमनापट्टी गांव के पास)	4.100 (24.200 कि.मी. से 28.300 कि.मी. तक डिजाइन चैनेज के साथ कीरानूर बाइपास)	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित दरों का 90%
	10.400 (44.400 कि.मी. से 54.800 कि.मी. तक डिजाइन चैनेज के साथ पुडुक्कोट्टाई बाइपास)	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित दरों का 90%
57.317 कि.मी. (पुडुक्कोट्टाई जिले में लेम्बालाकुड्डी गांव के पास)	2.500 (63.000 कि.मी. से 65.500 कि.मी. तक डिजाइन चैनेज के साथ थीरूमयाम बाइपास)	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित दरों का 90%
	19.154 (71.900 कि.मी. से 91.054 कि.मी. तक डिजाइन चैनेज के साथ कराईकुड्डी बाइपास)	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित दरों का 90%

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन और गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2013-14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रुपए (दो सौ पन्द्रह रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमन्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
6. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
9. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी शुल्क की आधार दरों के आधार पर यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा खण्ड के पूरे कर लिए भाग के लिए की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में, कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
10. परियोजना की अनुमानित पूंजी लागत 361.33 करोड़ रुपये है। पूंजी लागत में अन्तर हो सकता है, चूंकि भूमि अर्जन जन-उपयोग सुविधाओं का स्थानांतरण, वृक्ष काटने आदि की गतिविधियाँ अभी पूरी की जानी हैं। अंतिम पूंजी लागत अलग से अधिसूचित की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भारांप्रा/13013/754/सीओ/13-14/जीसी-कराईकुडी(10.000-94.000 और 110.016-135.930)बीओटी(वार्षिकी)]

रोहित कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2013

S.O. 3518(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 2433 (E) dated 21st October 2011, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the stretch from kilometer 10.000 to kilometer 94.000 (Trichy - Karaikudi Section) of National Highway No. 210 in the State of Tamil Nadu to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838 (E) dated the 5th December, 2008 and amended vide G.S.R. 950 (E) dated 3rd December, 2010 and G.S.R. 756 (E) dated 12th October, 2011 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnel.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee at 60% of the rates specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 44.900 kilometer (hereinafter referred to as "base rate") for use of two lane with paved shoulders sections and at 90% of the base rate for bypasses of aggregate length of 36.154 kilometer costing Rupees ten crore or more on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below, for the use of the section from kilometer 10.000 to kilometer 91.054 (Design kilometer) (Trichy - Karaikudi) on the National Highway No. 210 in the State of Tamil Nadu and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

TABLE I

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65

Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle Commercial Vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
Km 19.000 (near Village Lechchumanapatti in Pudukkottai District)	30.300	60% of the rates mentioned in Table 1 above
Km 57.317 (near Village Lembalakudi in Pudukkottai District)	14.600	60% of the rates mentioned in Table 1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypasses costing Rs. 10 crore or more at the following Toll Plaza for the length of bypasses specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of bypass (in km) for which additional fee is payable	Rate at which fee is payable
Km 19.000 (near Village Lechchumanapatti in Pudukkottai District)	4.100 (Keeranur Bypass with Design Chainage from Km 24.200 to Km 28.300)	90% of the rates mentioned in Table 1 above
	10.400 (Pudukkottai Bypass with Design Chainage from Km 44.400 to Km 54.800)	90% of the rates mentioned in Table 1 above
Km 57.317 (near Village Lembalakudi in Pudukkottai District)	2.500 (Thirumayam Bypass with Design Chainage from Km 63.000 to Km 65.500)	90% of the rates mentioned in Table 1 above
	19.154 (Karaikudi Bypass with Design Chainage from Km 71.900 to Km 91.054)	90% of the rates mentioned in Table 1 above

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred Fifteen only) for the year 2013-14 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
6. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority for the completed portion of the stretch and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.
10. The estimated capital cost of the project is Rupees 361.33 crores. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/754/CO/13-14/GC-Karaiikudi (10.000 – 94.000 & 110.016 – 135.930) BOT (Annuity)]

ROHIT KUMAR SINGH, Jt. Secy.

5024 GI/13-2